न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA072 Dhalaram n ors Vs Baburam etc

(1) **Appeal # 2018RAA,Ju.223RTA072**

1. ढलाराम पुत्र मोडाराम राईका
2. सोनाराम पुत्र राणाराम राईका
3. जमना पत्नी राणाराम राईका (फौत)
4. टीपूदेवी पत्नी कालूराम राईका
5. घेवरराम पुत्र कालूराम राईका
6. खिंयाराम पुत्र कालूराम राईका
7. मोतीराम पुत्र कालूराम राईका
8. भंवराराम पुत्र मोडाराम राईका
9. पुरखाराम पुत्र राणाराम राईका
10. मालाराम पुत्र मोडाराम राईका
11. फुसीदेवी पत्नी मोडाराम राईका
12. बुद्धिदेवी पत्नी गायडराम राईका
    निवासीगण ग्राम रामपुरा भाटियान
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बाबूराम पुत्र प्रेमाराम राईका
   निवासी ग्राम रामपुरा भाटियान,
   तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 20 सितम्बर 2016 राजस्व वाद संख्या 29/2015 बाबुराम बनाम भंवराराम आदि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(2) Appeal # 2018RAA,Ju.223RTA073

1. ढलाराम पुत्र मोडाराम राईका
2. सोनाराम पुत्र राणाराम राईका
3. जमना पत्नी राणाराम राईका (फौत)
4. टीपूदेवी पत्नी कालूराम राईका
5. घेवरराम पुत्र कालूराम राईका
6. खिंयाराम पुत्र कालूराम राईका
7. मोतीराम पुत्र कालूराम राईका
8. भंवराराम पुत्र मोडाराम राईका
9. पुरखाराम पुत्र राणाराम राईका
10. मालाराम पुत्र मोडाराम राईका
11. फुसीदेवी पत्नी मोडाराम राईका
12. बुद्धिदेवी पत्नी गायडराम राईका
निवासीगण ग्राम रामपुरा भाटियान
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बाबूराम पुत्र प्रेमाराम राईका
निवासी ग्राम रामपुरा भाटियान,
तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं फाइनल डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 11 फरवरी 2017 राजस्व वाद संख्या 29/2015 बाबुराम बनाम भंवराराम आदि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

उपस्थित-

श्री रमेश देवासी, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स एवं श्री रोशनलाल
श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या एक एवं श्री सिद्धार्थ परिहार
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 23 अक्तू., 2019

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत ये दोनों अपीलें अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2015 बाबुराम बनाम भंवरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 20 सितम्बर 2016 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 11 फरवरी 2017 के खिलाफ कमशः अपील संख्या 2018RAA,Ju.223RTA072 एवं 2018RAA,Ju.223RTA073 अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 29 जून 2018 को पेश की है। प्रत्येक अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक-एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्रों बाबत जबाब, सुनवाई एवं अदालत हाजा का आदेश सुरक्षित रखते हुए अपीलें दर्ज की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. बाबूराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत आराजी खसरा संख्या 506 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 535 रकबा 33 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा रामनगर तहसील तिंवरी के संबंध में पेश किया और खसरा संख्या 506 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से 4 का सम्मिलित ⅓ हिस्सा अर्थात वादी का ⅓ हिस्से में से ½ हिस्सा यानि इस खसरे के कुल रकबे में से 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी-रेस्पो. के हिस्से में, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 से 13 का ½ हिस्सा जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नया 21 व पुराना 15 से प्रकट होना बताया, और इसी प्रकार खसरा संख्या 535 रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से चार का ⅓ हिस्सा अर्थात वादी का ⅓ हिस्से का ½ यानि इस खसरे में 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी के हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में 6/11 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 12 तक के हिस्से में ½ हिस्सा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या नया 55 व पुराना 43 से साबित होना प्रकट किया। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से और सहुलियत अनुसार संयुक्त काश्त करते है और वादी के हिस्से में कुल 13 बीघा 06 बिस्वा भूमि आना जाहिर की। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार द्वारा अपने हिस्से अनुसार कब्जे की भूमि पर तारबंदी करने से वादी-रेस्पो. को अपने हिस्से एवं कब्जे की भूमि तक आवागमन का रास्ता बंद होने से वादकरण उत्पन्न हुआ और अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25 मई 2015 को संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी, और दिनांक 20 सितम्बर 2016 को मामले में प्राथमिक डिक्री जारी की गयी, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से अपील संख्या 2018RAA,Ju.223RTA072 पेश की गयी । प्राथमिक डिक्री की पालना में संबंधित से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर पक्षकारान द्वारा लोक-अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2017 जारी की, जिसके द्वारा अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 2018RAA,Ju.223RTA073 प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मामलें के तथ्यों एवं अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी-पक्ष की ओर से इस प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत दावा पेश नहीं किया गया है, जो पेश किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर प्रस्तुत किया गया सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थनापत्र भी विचाराधीन था, जिसके संबंध में भी कोई निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र लम्बित रहते हुए मूल वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरा विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादिनी श्रीमती जमना का देहान्त हो गया था, अतः मृतका श्रीमती जमना के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने के पूर्व मामले में प्रतिवादीगण पर सम्मय की सम्यक तामील के संबंध में भी कोई गौर नहीं किया है और न ही प्राथमिक डिकी जारी किये जाने के बाद फाइनल डिकी जारी किये जाने तक राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित की गयी है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जहॉ तक तामील का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 31 दिसम्बर 2015 के अवलोकन से प्रकट हो जाता है कि रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये हुए सम्मन प्रतिवादी-पक्ष की ओर से लेने से इंकार किया गया है। मूल दावे में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान के बीच जमाबंदी में सहखतेदारान के मध्य राजस्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत प्रार्थना की गयी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत दावा पेश किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय में जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, उसे उभय पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया गया, अतः अब अपीलाण्ट्स को उससे मुकरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अंत में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने आलौच्य दोनों अपीलें खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाधीन निणर्य एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के समय अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने, जबाब-दावा और साक्ष्य-सुनवाई का अवसर का उपयोग नहीं कर पाये। प्रतिवादी-अपीलाण्ट श्रीमती जमना का देहान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही के दौरान हो जाना और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादिनी श्रीमती जमना के विधिक उत्तराधिकारियों को विधिवत अभिलेख पर लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जाने बाबत अपील स्तर पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा आक्षेप लिया गया है, मगर प्रस्तुत आलौच्य अपील में स्वयं प्रतिवादी-अपीलाण्ट पक्ष की ओर से मृतका श्रीमती जमना के विधिक उत्तराधिकारियों को बतौर कायममुकामान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्पष्ट किये बिना मात्र श्रीमती जमना के नाम के आगे फौत लिख करने अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली है। वस्तुतः अपील स्तर पर अपीलाण्ट-पक्ष का यह कर्त्तव्य बनता है कि मृतका प्रतिवादी श्रीमती जमना का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करते हुए उसकी मृत्यु का दिन निश्चित तौर पर जानने में सप्रमाण ज्ञात करने में सहयोग करें ताकि यह तय हो सके कि क्या वास्तव में श्रीमती जमना का देहान्त अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा विचाराधीन रहने के दौरान ही हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. का हक-हिस्सा भी स्पष्टतः घोषित करने की आवश्यकता थी क्योंकि प्रत्येक सहखातेदारों का हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्पष्ट नहीं किया हुआ है। वादी का 1/3 में से 1/2 हिस्सा घोषित किया जाना विधि की दृष्टि में आवश्यक था जिसके अभाव में प्राथमिक डिकी विधासम्मतः नहीं है।

जहॉ तक प्राथमिक डिकी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर फाइनल डिकी जारी किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही, विभाजन प्रस्ताव तथा फाइनल डिकी का अवलोकन करने से पाया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नहीं किये गये, अपितु हळका पटवारी द्वारा यह कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त फाइनल डिकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 9 फरवरी 2017 को प्राप्त हुआ जिसमें पक्षकार लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया। राजस्थान काश्तकारी (नियम), 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव दोनों पक्षों को पूर्व सूचना देकर मौके पर संबंधित तहसीलदार स्वयं द्वारा जाकर तैयार किये जाने चाहिये। मगर आलौच्य प्रकरण में ऐसा नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया। जाहिर है कि राजस्थान काश्तकारी (नियम), 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर इन दोनों अपीलों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा करते हुए अपीलें मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितम्बर 2016 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2017 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि नियमानुसार --

1. सर्वप्रथम मृतक पक्षकारान के कायममुकामान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही की जावे
2. अन्य कोई प्रार्थनापत्र, यदि लम्बित हो तो, उनका निस्तारण किया जावे।
3. उभय पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने और (आवश्यक हो तो तनकियात कायम कर) सभी पक्षकारान को साक्ष्य-सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए खातेदारी हिस्सों की घोषणा बाबत निर्णय एवं तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।
4. राजस्थान काश्तकारी (नियम) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर तलब किये जावे और प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान की सुनवाई कर तदनुसार फाइनल डिक्री जारी की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13 नवम्बर 2019 को उपस्थित रहे। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में रखी जावें

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर